न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 01 सन 2020
अनवान :–

1. हारून पुत्र रफीक जाति खटीक मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 27/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 77 की कु 0.2150हैक एवं रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 133 की कुल 14.4800हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हारूण पुत्र रफीक दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हारून है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम सरीफ पुत्र इब्राहीम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 77 की कु 0.2150हैक एवं रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 133 की कुल 14.4800हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि में वादी का नाम हारूण पुत्र रफीक के स्थान पर हारून पुत्र रफीक संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 77 की कु 0.2150हैक एवं रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 133 की कुल 14.4800हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हारूण पुत्र रफीक दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हारून है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम सरीफ पुत्र इब्राहीम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 77 की कु 0.2150हैक एवं रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 133 की कुल 14.4800हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि-सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम हारूण पुत्र रफीक दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम हारून पुत्र रफीक है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम हारून पुत्र रफीक दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है कि रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 77 के खसरा न0 19/0.2150हैक में से 1/4 हिस्सा में एवं रोही मौज चक देईदासपुरा के खाता संख्या 133 के खसरा न0 179/5.7290हैक , 299/0.1510हैक , 300/8.6000हैक कुल 14.4800हैक भूमि में 1/12 हिस्सा में हारूण पुत्र रफीक के स्थान पर हारून पुत्र रफीक संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.7.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner